

एसईसी-1/187(2)/2026/3046

दिनांक.06 अक्टूबर, 2026

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 40001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: सहायक कंपनियों के निगमन की सूचना।

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची 30 के साथ पठित विनियम 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित तीन सहायक कंपनियों को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल" आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है:

- 1) बीकानेर वी पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2026GO1471297)
- 2) बीकानेर वी पार्ट बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2026GO1471295)
- 3) मिर्जापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2026GO1471294)

उक्त कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसार आरईसी लिमिटेड की सहायक कंपनियाँ भी हैं। अन्य आवश्यक विवरण **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,
आरईसी लिमिटेड के लिए

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संलग्न: उपरोक्तनुसार

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता
लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी
प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

**तीन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का निगमन, अर्थात् बीकानेर वी पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड,
बीकानेर वी पार्ट बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और मिर्जापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड**

क्र. सं.	विवरण	बीकानेर वी पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	बीकानेर वी पार्ट बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	मिर्जापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
1.	लक्षित इकाई का नाम, तथा उसका संक्षिप्त विवरण जैसे आकार टर्नओवर आदि।	नाम: बीकानेर वी पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी: रु 5,00,000/- प्रदत्त पूंजी: रु 5,00,000/- टर्नओवर: लागू नहीं (यह एक नई निगमित कंपनी है और अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाई है)। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 19 जून, 2026 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतर-राज्यीय पारेषण आवंटित किया था, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को राजस्थान आरईजेड पीएच-4 (भाग-6 : 6गीगावाट) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) (बीकानेर वी: 6गीगावाट) - भाग ए के हिस्से के रूप में बिजली निकासी के लिए पारेषण योजना के उद्देश्य से बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। उपरोक्त को देखते हुए, बीकानेर वी पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 5 अक्टूबर को शामिल किया गया है 2026. टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोली लगाने वाले के चयन के बाद, कंपनी को सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोली लगाने वाले को हस्तांतरित किया जाएगा।	नाम: बीकानेर वी पार्ट बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी: रु 5,00,000/- प्रदत्त पूंजी: रु 5,00,000/- टर्नओवर: लागू नहीं (यह एक नई निगमित कंपनी है और अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाई है)। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 19 जून, 2026 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतर-राज्यीय पारेषण आवंटित किया था, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को राजस्थान आरईजेड पीएच-4 (भाग-6 : 6गीगावाट) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) (बीकानेर वी: 6गीगावाट) - भाग बी के हिस्से के रूप में बिजली निकासी के लिए पारेषण योजना के उद्देश्य से बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। उपरोक्त को देखते हुए, बीकानेर वी पार्ट बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 5 अक्टूबर को शामिल किया गया है 2026. टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोली लगाने वाले के चयन के बाद, कंपनी को सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोली लगाने वाले को हस्तांतरित किया जाएगा।	नाम: मिर्जापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी: रु 5,00,000/- प्रदत्त पूंजी: रु 5,00,000/- टर्नओवर: लागू नहीं (यह एक नई निगमित कंपनी है और अभी तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाई है)। यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिनांक 10 अगस्त, 2026 के अपने पत्र के माध्यम से अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना आवंटित की थी, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को 765/400 केवी मिर्जापुर पुलिंग (एआईएस) सबस्टेशन से जुड़ी 765 केवी और 400 केवी लाइनों के निर्माण के उद्देश्य से बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। उपरोक्त को देखते हुए, मिर्जापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 5 अक्टूबर, 2026 को शामिल किया गया है। चयन के बाद टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोली लगाने वाले को कंपनी को सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोली लगाने वाले को हस्तांतरित किया जाएगा।
2.	क्या अधिग्रहण संबंधित पार्टी लेनदेन (लेन-देन) के अंतर्गत आएगा और क्या अधिग्रहण की जा रही इकाई में प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह/समूह कंपनियों की रुचि है? यदि हां, तो ब्याज की प्रकृति और उसका विवरण और क्या यह "आर्म्स लेंथ" पर किया गया है	बीकानेर वी पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए यह आरईसी लिमिटेड की संबंधित पार्टी है। प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का बीकानेर वी पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक ही हित है।	बीकानेर वी पार्ट बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए यह आरईसी लिमिटेड की संबंधित पार्टी है। प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का बीकानेर वी पार्ट बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक ही हित है।	मिर्जापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए यह आरईसी लिमिटेड की संबंधित पार्टी है। प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का मिर्जापुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक ही हित है।

3.	वह उद्योग जिससे अधिग्रहित इकाई संबंधित है	विद्युत क्षेत्र		
4.	अधिग्रहण की वस्तुएं और प्रभाव (जिसमें लक्ष्य इकाई के अधिग्रहण के कारणों का प्रकटीकरण शामिल है, यदि उसका व्यवसाय सूचीबद्ध इकाई के मुख्य व्यवसाय से बाहर है)	राजस्थान आरईजेड पीएच- (भाग - 6 : 6 गीगावाट) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) (बीकानेर वी: 6 गीगावाट) भाग ए के भाग के रूप में बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन योजना	राजस्थान आरईजेड पीएच- (भाग -6 : 6 गीगावाट) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) (बीकानेर वी: 6 गीगावाट) भाग बी के भाग के रूप में बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन योजना	कंपनी को 765/400 केवी मिर्जापुर के साथ पूलिंग (एआईएस) सबस्टेशन के साथ 765 केवी और 400 केवी लाइनों के निर्माण के लिए शामिल किया गया है।
5.	अधिग्रहण के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या नियामक अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 19 जून, 2026 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार निगमित किया गया है, जिसमें आरईसीपीडीसीएल को बीपीसी के रूप में नामित किया गया है।		
6.	अधिग्रहण पूरा करने के लिए सांकेतिक समय अवधि	लागू नहीं		
7.	प्रतिफल का स्वरूप - चाहे वह नकद प्रतिफल हो या शेयर अदला-बदली और उसका विवरण	इक्विटी शेयर पूंजी का 100% नकद में सदस्यता		
8.	अधिग्रहण की लागत या वह मूल्य जिस पर शेयरों का अधिग्रहण किया जाता है	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर का 100% सब्सक्रिप्शन		
9.	अधिग्रहीत शेयरधारिता/नियंत्रण का प्रतिशत और/या अधिग्रहीत शेयरों की संख्या	100%		
10.	अधिग्रहीत इकाई के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि उत्पाद/व्यवसाय की लाइन के संदर्भ में अधिग्रहीत, निगमन की तारीख, पिछले 3 वर्षों के कारोबार का इतिहास, जिस देश में अधिग्रहीत इकाई की उपस्थिति है और कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (संक्षेप में)	आरईसीपीडीसीएल समय-समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना के लिए टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बीपीसी" के रूप में कार्य करता है।		